

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] No. 37]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 2009/फाल्गुन 27, 1930

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 18, 2009/PHALGUNA 27, 1930

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2009

सं. 7-1/2004-के.हो.परि.—होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 33 की उपधारा (1) के खण्ड (ड), (ढ), (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमित से होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 1982 में आगे संशोधन हेतु निम्न विनियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इन विनियमों का नाम होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (रजिस्ट्रीकरण) संशोधन विनियम, 2008 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (रिजस्ट्रीकरण) विनियम, 1982 (यहां इसके पश्चात् मूल विनियम से अभिप्रेत है), के विनियम 8, के उप-विनियम 2, में शब्द तथा अंक "रुपये 75/-" को शब्द और अंक "रुपये दो सौ" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 3. मूल विनियमों के प्रारूप ख, पैरा II के खण्ड (iii) में शब्दों, अंक तथा कोष्ठक "रु. 60.00 (सेवा शुल्क रु. 50.00 सिंहत)", के स्थान पर शब्द तथा कोष्ठक "रुपये पाँच सौ (रुपये साठ सेवा प्रभार संहित)", से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 4. मूल विनियमों के प्रारूप 'ग', को निम्न फार्म से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :---

- 3. In Form B to the principal regulations, in paragraph II, in clause (iii), for the words, figures and brackets "Rs. 60.00 (including service charge of Rs. 50.00)", the words and brackets "five hundred rupees (including service charge of sixty rupees)" shall be substituted.
- 4. For Form 'C' to the principal regulations, the following Form shall be substituted, namely:

"FORM C

[See regulations 6(3) and 8]

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

Space for Photograph of candidate

Jawahar Lal Nehru Bhartiya Chikitsa Avum Homoeopathy Anusandhan Bhavan, Nos. 61-65, Institutional Area, Opp. 'D' Block, Janakpuri, New Delhi-110058. [Certification Under Section 23 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973)]

(Registration Certificate)

Certificate No. CCH

| Candidate's Name | Father's and Mother's Name | Address | Qualification |
|------------------|----------------------------|---------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |

Space for water mark

[SEAL]

New Delhi

REGISTRAR

Dated:

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY"

- 5. In the Form 'F' to the principal regulations, after serial number 3 and the entries relating thereto, the following Note shall be inserted namely:— .
 - "Note:—The fee of seventy-five rupees shall be for restoration of the registration, and not for the purpose of renewal of registration.".

Dr. LALIT VERMA, Registrar

[ADVTIII/4/Exty./147/2008]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of india, Extraordinary vide notification number 7-1-/83-CCH dated the 11th May, 1983 and subsequently amended vide notification numbers 7-1/92-CCH, dated the 7th March, 1995; 7-1/92-CCH dated the 12th September, 2002; and 7-1/92-CCH, dated the 19th July, 2005.

HRA AN USIUS The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] No. 37]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 2009/फाल्गुन 27, 1930 NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 18, 2009/PHALGUNA 27, 1930

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2009

सं. 7-1/2004-के.हो.परि.—होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 33 की उपधारा (1) के खण्ड (ड), (ढ), (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमित से होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 1982 में आगे संशोधन हेतु निम्न विनियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इन विनियमों का नाम होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (रिजस्ट्रीकरण) संशोधन विनियम, 2008 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (रिजस्ट्रीकरण) विनियम, 1982 (यहां इसके पश्चात् मूल विनियम से अभिप्रेत है), के विनियम 8, के उप-विनियम 2, में शब्द तथा अंक "रुपये 75/-" को शब्द और अंक "रुपये दो सौ" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 3. मूल विनियमों के प्रारूप ख, पैरा II के खण्ड (iii) में शब्दों, अंक तथा कोष्ठक "रु. 60.00 (सेवा शुल्क रु. 50.00 सिंहत)", के स्थान पर शब्द तथा कोष्ठक "रुपये पाँच सौ (रुपये साठ सेवा प्रभार सिंहत)", से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 4. मूल विनियमों के प्रारूप 'ग', को निम्न फार्म से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"प्रारूप 'ग'

[विनियम 6(3) तथा 8 देखें]

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

अभ्यर्थी की फोटो हेतु स्थान

जवाहर लाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसंधान भवन, सं. 61-65, इंस्टीट्यूशनल एरिया 'डी' ब्लॉक के सामने, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 [होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 23 के अधीन प्रमाण पत्र]

पंजीकरण प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं. के.हो.प.

| अभ्यर्थी का नाम | पिता व माता का नाम | पता | 2 |
|-----------------|--------------------|-----|------|
| (1) | (2) | 101 | अहता |
| | (2) | (3) | (4) |

वाटर मार्क हेतु स्थान

[मुहर]

नई दिल्ली

दिनांक:

रजिस्ट्रार

कैन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्"

5. मूल विनियमों के धारा 3 के प्रारूप 'च' में क्रम संख्या 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न टिप्पणी शामिल की जायेगी अर्थात् :—

"टिप्पणी :—रुपये पचहत्तर का शुल्क पंजीकरण के पुन: स्थापित कराने हेतु देय होंगे, पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु नहीं।" डॉ. लिलत वर्मा, रजिस्ट्रार

[विज्ञापन III/4/असाधारण/147/2008]

टिप्पणी : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. 7-1/83-के.हो.परि. दिनांक 11 मई, 1983 तथा तत्पश्चात् संशोधन संख्या 7-1/92-के.हो.परि. दिनांक 7 मार्च, 1995, 7-1/92-के.हो.परि. दिनांक 12 सितम्बर, 2002 तथा 7-1/92-के.हो.परि. दिनांक 19 जुलाई, 2005 को द्वारा अधिसूचित किया गया।

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2009

No. 7-1/2004-CCH.—In exercise of the powers conferred by clauses (m), (n) and (o) of sub-section (1) of Section 33 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Council of Homoeopathy, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Homoeopathy Central Council (Registration) Regulations, 1982 namely:—

- (1) These regulations may be called the Homoeopathy Central Council (Registration) Amendment Regulations, 2008.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Homoeopathy Central Council (Registration) Regulations, 1982, (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 8, in sub-regulation (2), for word and figures "Rs.75/-", the words "two hundred rupees" shall be substituted;

- 3. In Form B to the principal regulations, in paragraph II, in clause (iii), for the words, figures and brackets "Rs. 60.00 (including service charge of Rs. 50.00)", the words and brackets "five hundred rupees (including service charge of sixty rupees)" shall be substituted.
- 4. For Form 'C' to the principal regulations, the following Form shall be substituted, namely:

"FORM C

[See regulations 6(3) and 8]

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

Space for Photograph of candidate

Jawahar Lal Nehru Bhartiya Chikitsa Avum Homoeopathy Anusandhan Bhavan,
Nos. 61-65, Institutional Area, Opp. 'D' Block, Janakpuri, New Delhi-110058.

[Certification Under Section 23 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973)]

(Registration Certificate)

Certificate No. CCH

| Candidate's Name | Father's and Mother's Name | Address | Qualification |
|------------------|----------------------------|---------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |

Space for water mark

[SEAL]

New Delhi

REGISTRAR

Dated:

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY"

5. In the Form 'F' to the principal regulations, after serial number 3 and the entries relating thereto, the following Note shall be inserted namely:—.

"Note:—The fee of seventy-five rupees shall be for restoration of the registration, and not for the purpose of renewal of registration.".

Dr. LALIT VERMA, Registrar

[ADVT III/4/Exty./147/2008]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of india, Extraordinary *vide* notification number 7-1-/83-CCH dated the 11th May, 1983 and subsequently amended vide notification numbers 7-1/92-CCH, dated the 7th March, 1995; 7-1/92-CCH dated the 12th September, 2002; and 7-1/92-CCH, dated the 19th July, 2005.